



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255077
CG-DL-E-02072024-255077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 2024/आषाढ 10, 1946

No. 469]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2024/ASHADHA 10, 1946

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2024

सं.एल-1/261/2021/सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खंड (47), धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (घ), धारा 40 के खंड (ग) और धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 178 की उप-धारा (1) और धारा 178 की उप-धारा (2) के खंड (यड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के बाद एतद् द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुँच) विनियम, 2022 (इसके बाद "मूल विनियमों" के रूप में संदर्भित) को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ

- इन विनियमों का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुँच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024 है।
- ये विनियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

2. मूल विनियमों के विनियम 2.1 का संशोधन:

- मूल विनियमों के विनियम 2.1 के खंड (कछ) के बाद एक नया खंड, अर्थात्, खंड (कछ-i) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(कछ-ii) “नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी”या ‘आरईआईए’में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) से विद्युत का चयन करने व खरीदने और इसे एक या अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों या किसी अन्य इकाई को बेचने के लिए मध्यस्थ खरीदकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामित इकाई;

(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार जो स्वयं के उपभोग के लिए आरईजीएस से विद्युत का चयन करने व खरीदने पर विचार करने की इच्छुक है;

(iii) इस खंड के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन विद्युत की खरीद, इस अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

स्पष्टीकरण: इस खंड के उप-खंड (i) में संदर्भित ‘किसी अन्य इकाई’ में नवीकरणीय ऊर्जा के स्वयं के उपभोग के लिए केन्द्र या राज्य सरकार या केन्द्र या राज्य सरकार का कोई विभाग शामिल होगा।

3. मूल विनियमों के विनियम 3.5 का संशोधन:

3.1 मूल विनियमों के विनियम 3.5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“संवीक्षा के बाद नोडल एजेंसी, आवेदन की प्राप्ति के दस (10) कार्य दिवसों के अंदर आवेदक को संयोजकता प्रदान किए जाने या जीएनए प्रदान किए जाने हेतु आवेदन में मामूली कमी (कमियों), यदि कोई हो, के बारे में आवेदन की प्राप्ति की तारीख और समय के क्रम में सूचित करेगा। इसके बाद आवेदक सात (7) कार्य दिवसों के अंदर मामूली कमी (कमियों) में सुधार करेगा, जिसमें विफल होने पर आवेदन को बंद किया जाएगा और आवेदन शुल्क का 20% जब्त कर ली जाएगी। आवेदन शुल्क के शेष 80% को नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को आवेदन के बंद होने के 15 दिनों के अंदर वापस किया जाएगा:

परंतु यह कि आवेदन की तारीख और समय स्टाम्प को निर्धारित समय में मामूली कमी (कमियों) में सुधार के कारण बदला नहीं जाएगा।

परंतु यह भी कि सीटीयू मामूली कमियों की एक सूची प्रकाशित करेगी और इसे आवश्यकतानुसार समय समय पर अपडेट करेगी। सूचीबद्ध मामूली कमियों के अलावा अन्य कमियों वाले किसी भी आवेदन को अधूरा माना जाएगा और खारिज कर दिया जाएगा।

4. मूल विनियमों के विनियम 4.1 का संशोधन:

4.1 मूल विनियमों के विनियम 4.1 के खंड (ड) के बाद एक नया खंड, अर्थात्, खंड (च) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(च) इस विनियम के खंडों (क) से (ग) के अधीन शामिल किसी बात के होते हुए भी, उत्तर पूर्वी प्रदेश (एनईआर) और सिक्किम में संयोजकता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन हेतु व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम संस्थापित क्षमता या सकल संस्थापित क्षमता के साथ 25 मेगावाट होगी।”

5. मूल विनियमों के विनियम 5.8 का संशोधन:

5.1 मूल विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii) के उप-खंडों (ख) और (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(ख) क्षमता, जिसके लिए संयोजकता मांगी गई है, के लिए अपेक्षित भूमि के 50% हेतु स्वामित्व या लीज़ अधिकार या भूमि उपयोग अधिकारों के प्रमाण के रूप में पंजीकृत टाइटल डीड;

परंतु यह कि उन राज्यों के लिए, जहाँ राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए पहचानी गई नोडल एजेंसी को भूमि के आवंटन के लिए राज्य सरकार सरकारी आदेश जारी करती है, और जो बदले में परियोजना विकासकर्ता को भूमि का अग्रिम अधिकार जारी करता है, संयोजकता के आवेदन के नाम से जारी अग्रिम अधिकार पत्र के साथ नोडल एजेंसी को भूमि आवंटित करने वाला ऐसे सरकारी आदेश को इस शर्त के अधीन भूमि उपयोग अधिकारों के प्रति वैध दस्तावेज के रूप में माना जाएगा कि उक्त दस्तावेज, उस क्षमता के लिए अपेक्षित भूमि के कम से कम 50% के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे जिसके लिए संयोजकता मांगी गई है; या

(ग) 1000 मेगावाट तक की क्षमता के लिए – रु. 10 लाख/मेगावाट की बैंक गारंटी और 1000 मेगावाट से अधिक की क्षमता के लिए – रु. 100 करोड़ की बैंक गारंटी जमा 1000 मेगावाट से ऊपर की क्षमता के लिए रु. 5 लाख/मेगावाट, इन विनियमों के विनियम 11क और 11ख के उपबंधों के अध्यक्षीन, मांगी गई संयोजकता क्षमता के लिए अपेक्षित भूमि के 50% के लिए भूमि के भूमि उपयोग अधिकार या लीज़ अधिकार या स्वामित्व के एवज में; या

5.2 मूल विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंडों(ख) और (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(ख) क्षमता, जिसके लिए संयोजकता मांगी गई है, के लिए अपेक्षित भूमि के 50% हेतु स्वामित्व या लीज़ अधिकार या भूमि उपयोग अधिकारों के प्रमाण के रूप में पंजीकृत टाइटल डीड;

परंतु यह कि उन राज्यों के लिए, जहाँ राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए पहचानी गई नोडल एजेंसी को भूमि के आबंटन के लिए राज्य सरकार सरकारी आदेश जारी करती है, और जो बदले में परियोजना विकासकर्ता को भूमि का अग्रिम अधिकार जारी करता है, संयोजकता के आवेदन के नाम से जारी अग्रिम अधिकार पत्र के साथ नोडल एजेंसी को भूमि आबंटित करने वाला ऐसे सरकारी आदेश को इस शर्त के अध्यक्षीन भूमि उपयोग अधिकारों के प्रति वैध दस्तावेज के रूप में माना जाएगा कि उक्त दस्तावेज, उस क्षमता के लिए अपेक्षित भूमि के कम से कम 50% के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे जिसके लिए संयोजकता मांगी गई है; या

(ग) 1000 मेगावाट तक की क्षमता के लिए – रु. 10 लाख/मेगावाट की बैंक गारंटी और 1000 मेगावाट से अधिक की क्षमता के लिए – रु. 100 करोड़ की बैंक गारंटी जमा 1000 मेगावाट से ऊपर की क्षमता के लिए रु. 5 लाख/मेगावाट, इन विनियमों के विनियम 11क और 11ख के उपबंधों के अध्यक्षीन, मांगी गई संयोजकता क्षमता के लिए अपेक्षित भूमि के 50% के लिए भूमि के भूमि उपयोग अधिकार या लीज़ अधिकार या स्वामित्व के एवज में;

6. मूल विनियमों के विनियम 7.1 का संशोधन:

6.1 मूल विनियमों के विनियम 7.1 में संख्या और शब्दों “30 दिनों” के स्थान पर संख्या और शब्द “60 दिनों” रखे जाएंगे।

7. मूल विनियमों के विनियम 7.2 का संशोधन:

7.1 मूल विनियमों के विनियम 7.2 में संख्या और शब्दों “60 दिनों” के स्थान पर संख्या और शब्द “90 दिनों” रखे जाएंगे।

8. मूल विनियमों के विनियम 11क का संशोधन:

मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (1), खंड (2) और खंड (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(1) कोई आवेदक जो कि विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (ग) के अधीन कवर किया गया आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के अलावा) या ईएसएस (पीएसपी को छोड़कर) या विनियम 5.8 के खंड (vii) के उप-खंड (ग) के अधीन कवर किया गया नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता है, तो वह संयोजकता के सैद्धांतिक अनुदान जारी किए जाने के 18 मास या संयोजकता का अंतिम अनुदान जारी किए जाने के 12 मास, जो भी निम्नतर हो, के अंदर इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii) के उप-खंड (ख) या खंड (xi) के उप-खंड (ख), यथास्थिति, के संदर्भ में भूमि के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (ग) के अधीन या खंड (vii) के उप-खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी, स्वामित्व या लीज़ अधिकार या भूमि उपयोग अधिकार के प्रमाण के रूप में निर्धारित दस्तावेजों की प्रस्तुति के 7 दिनों के अंदर वापस की जाएगी।

(2) आवेदक जो कि आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन को छोड़कर), ईएसएस (पीएसपी को छोड़कर) या नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता है जिन्हें संयोजकता का सैद्धांतिक रूप से अनुदान जारी किया गया है, ऐसे आवेदन की संयोजकता की आरंभ तारीख या वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख, जो भी बाद में हो, से पूर्व शीघ्र से शीघ्र 6 मास तक इच्छिटी के माध्यम से भूमि अधिग्रहण लागत सहित परियोजना लागत के न्यूनतम 10% की रिलीज़ को प्रमाणित करते हुए, संपरीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि ऐसा आवेदक वित्तीय समापन हासिल करने के 15 दिनों के अंदर सीटीयू को बोर्ड रेज़ोल्यूशन की प्रति (यदि आंतरिक निधिकरण परियोजना लागत के 100% के लिए नियोजित है) या परियोजना के वित्तीय समापन का प्रमाण (ऋण अनुमोदन पत्र की प्रति या ऋण राशि के प्रथम संवितरण की प्रति के साथ) प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह और कि आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन को छोड़कर) या ईएसएस (पीएसपी को छोड़कर) के मामले में जिन्हें विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (क) के अधीन संयोजकता प्रदान की गई है, इस खंड के प्रयोजन हेतु वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख को एससीओडी के रूप में माना जाएगा, जैसा कि समय-समय पर आरईआईए या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से प्राधिकृत एजेंसी द्वारा विस्तारित है, इस शर्त के अधीन कि एससीओडी में विस्तार के कारण वित्तीय समापन के माइलस्टोन को हासिल करने के लिए समयसीमा में किसी विस्तार की अनुमति, प्रारंभिक एससीओडी के अनुसार मूल समयसीमा से 12 मास से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह भी कि इकाइयाँ जिन्हें विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंडों (ख) या (ग) के अधीन संयोजकता प्रदान की गई है और जिन्हें बाद में विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (क) के अधीन कवर किया गया है, उन्हें ऐसे आवेदन की संयोजकता की आरंभ तारीख से 6 मास पूर्व तक ऐसी संयोजकता की क्षमता के लिए वित्तीय समापन हासिल करना होगा।

(3) उन आवेदकों के मामले में जिन्हें इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के खंड (क) के अधीन संयोजकता प्रदान की गई है, और जिनका एलओए या पीपीए परियोजना की सीओडी से पूर्व समाप्त होता है, ऐसे आवेदक पर अनारोप्य कारणों के लिए, और जहाँ एलओए या पीपीए इकाई द्वारा समाप्त किया गया है और इस पर आरईआईए या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या समुचित आयोग द्वारा अनुमोदित है या उनके द्वारा सहमति दी गई है, ऐसे आवेदक इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (क) के अधीन प्रदान की गई संयोजकता को, पूर्णतया या आंशिक रूप में, ऐसे परिवर्तन के कारण संयोजकता की आरंभ की तारीख और आईएसटीएस के साथ संयोजकता के बिंदु में बिना किसी परिवर्तन के परिवर्तित कर सकता है। ऐसी इकाई, ऐसे परिवर्तन के अनुमोदन से छह मास या संयोजकता के आरंभ की तारीख से छह मास पूर्व, जो भी बाद में हो, के अंदर इस विनियम के खंड (2) की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा:

परंतु यह कि यदि इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (ग) के अधीन संयोजकता में परिवर्तन किया गया है, तो इकाई सीटीयू द्वारा ऐसे परिवर्तन के अनुमोदन की तारीख से तीन मास के अंदर इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता का अनुपालन करेगा:

परंतु यह और कि इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (क) के अधीन प्रदान की गई संयोजकता की अंश मात्रा के इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (ख) या उप-खंड (ग) के अधीन संयोजकता में परिवर्तन के मामले में, संयोजकता की शेष मात्रा को प्रतिसंहत किया जाएगा और वह इन विनियमों के विनियम 24.6 के अनुसार शासित होगी:

परंतु यह भी कि एक बार जब किसी इकाई को इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (क) के अधीन प्रदान की गई संयोजकता को इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (ख) या उप-खंड (ग) के अधीन संयोजकता में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है, तो इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (क) के अधीन किसी उत्तरवर्ती परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी इकाई अपनी परियोजना से विद्युत की बिक्री के उद्देश्य के लिए एलओए प्राप्त करने या पीपीए में प्रवेश करने के लिए पात्र होगी, परंतु ऐसे एलओए या पीपीए इन विनियमों के विनियम 11क या विनियम 24.6 के अधीन आवश्यकताओं को पूर्ण करने की समयसीमा पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

9. मूल विनियमों के विनियम 11ख का संशोधन:

9.1 इन विनियमों के विनियम 11ख के खंड (1) में शब्दों “प्रस्तुत की गई रु. 10 लाख/मेगावाट के” के स्थान पर शब्द “इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (ग) या खंड (vii) के उप-खंड (ग) के निबंधनों के अनुसार प्रस्तुत की गई” रखे जाएंगे।

9.2 इन विनियमों के विनियम 11ख के खंड (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(2) यदि संयोजकता अनुदानग्राही इन विनियमों के विनियम 11क के खंड (2) के अनुसार निर्धारित समय के अंदर वित्तीय समापन हासिल करने में विफल होता है या निर्धारित समय के अंदर वित्तीय समापन की प्रति प्रस्तुत करने में विफल होता है, तो संयोजकता को प्रतिसंहत किया जाएगा, इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप-खंड (ग) या खंड (vii) के उप-खंड (ग) के अधीन बैंक गारंटी का नकदीकरण किया जाएगा, और कॉन-बीजी1, कॉन-बीजी2 और कॉन-बीजी3 को इन विनियमों के विनियम 24.2 या विनियम 24.3, यथास्थिति, के अनुसार माना जाएगा।”

10. मूल विनियमों के विनियम 24.6 का संशोधन:

10.1 मूल विनियमों के विनियम 24.6 के खंड (1)(क) के उप-खंड (ii) के नीचे एक नए उप-खंड (iii) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(iii) उन मामलों में जहाँ इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीन कवर की गई है परंतु जिन्हें बाद में इन विनियमों के विनियम 11क के अधीन विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) या (xi)(ग) के अधीन कवर किया गया है, वहाँ इस विनियम के खंड (ii) के प्रयोजन हेतु वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख, संयोजकता के आरंभ की तारीख या इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) से खंड (xi)(ख) या (xi)(ग) में ऐसे परिवर्तन के लिए सीटीयू द्वारा अनुमोदन की तारीख से छह मास, जो भी बाद में हो, होगी।

हरप्रीत सिंह पृथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./238/2024-25]

नोट:— (i) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 को भारत के राजपत्र (असाधारण) सं. 364 के भाग III, खंड 4 में दिनांक 19.07.2022 को प्रकाशित किया गया था।

(ii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) सं. 229 के भाग III, खंड 4 में दिनांक 06.04.2023 को प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2024

No. L-1/261/2021/CERC .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 178 and clause (ze) of sub-section (2) of Section 178 read with clause (47) of Section 2, clause (d) of sub-section (2) of Section 38, clause (c) of Section 40 and clause (c) of sub-section (1) of Section 79 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”) namely: —

1. Short Title and Commencement

These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (Second Amendment) Regulations, 2024.

1.1. These regulations shall come into force on such date as the Central Commission may notify.

2. Amendment to Regulation 2.1 of the Principal Regulations:

2.1. A new Clause, namely, Clause (ag-i), shall be added after Clause (ag) of Regulation 2.1 of the Principal Regulations as under:

“(ag-i) ‘Renewable Energy Implementing Agency’ or ‘REIA’ includes:

- (i) an entity designated by the Central Government or the State Government to act as Intermediary Procurer to select and buy power from Renewable energy generating station(s) for selling the same to one or more distribution licensees or any other entity;
- (ii) the Central Government or the State Government which intends to select and procure power from the REGS for their own consumption;
- (iii) the procurement of power under sub-clause (i) and (ii) of this Clause shall be in accordance with the Guidelines issued from time to time by the Central Government under Section 63 of the Act;

Explanation: ‘any other entity’ referred to in sub-clause (i) of this Clause shall include the Central or the State Government or any department of the Central or the State Government for its own consumption of renewable energy.

3. Amendment to Regulation 3.5 of the Principal Regulations:

3.1. Regulation 3.5 of the Principal Regulations shall be substituted as follows:

“After scrutiny, the Nodal Agency shall intimate the minor deficiency(ies), if any, in the application for grant of Connectivity or grant of GNA, to the Applicant within Ten (10) working days of the receipt of the application, in order of date and time of receipt of application. The Applicant shall rectify the minor deficiency(ies) within seven (7) working days thereafter, failing which the application shall be closed, and 20% of the application fee shall be forfeited. Balance 80% of the application fee shall be refunded by the Nodal Agency to the Applicant within 15 days of closure of the application:

Provided that date and time stamp of the application shall not be changed due to rectification of minor deficiency(ies) within the stipulated time:

Provided further that CTU shall publish a list of minor deficiencies and update it from time to time, as required. Any application having deficiencies other than the listed minor deficiencies shall be treated as incomplete and shall be rejected.

4. Amendment to Regulation 4.1 of the Principal Regulations:

4.1. A new Clause, namely, Clause (f), shall be added after Clause (e) of Regulation 4.1 of the Principal Regulations as under:

“(f) Notwithstanding anything contained under Clauses (a) to (c) of this Regulation, the minimum installed capacity individually or with an aggregate installed capacity to apply for a grant of Connectivity shall be 25 MW in North Eastern Region (NER) and Sikkim.”

5. Amendment to Regulation 5.8 of the Principal Regulations:

5.1. The sub-clauses (b) and (c) to Clause (vii) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(b) Registered Title Deed as proof of Ownership or lease rights or land use rights for 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought:

Provided that for States where State Government issues Government Order for allotment of Land to the Nodal-Agency identified for development of Renewable energy in the State, which in turn issues Advance Possession of land to the project developer, such Government Order allotting land to the Nodal Agency accompanied with Advance Possession letter issued in the name of Applicant of Connectivity, shall be considered as a valid document towards Land Use Rights subject to the condition that the said documents shall be submitted for at least 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought; OR

(c) For a capacity up to 1000MW - Bank Guarantee of Rs. 10 lakh/ MW and for a capacity more than 1000MW - Bank Guarantee of Rs. 100 Crore plus Rs. 5 lakh/ MW for capacity over and above 1000MW, in lieu of ownership or lease rights or land use rights of land for 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought subject to provisions of Regulations 11A and 11B of these regulations; or

- 5.2. The sub-clauses (b) and (c) to Clause (xi) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(b) Registered Title Deed as proof of Ownership or lease rights or land use rights for 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought:

Provided that for States where State Government issues Government Order for allotment of Land to the Nodal Agency identified for development of Renewable energy in the State, which in turn issues Advance Possession of land to the project developer, such Government Order allotting land to the Nodal Agency accompanied with Advance Possession letter issued in the name of Applicant of Connectivity, shall be considered as a valid document towards Land Use Rights subject to the condition that the said documents shall be submitted for at least 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought; OR

(c) For a capacity up to 1000MW - Bank Guarantee of Rs. 10 lakh/ MW and for a capacity more than 1000MW - Bank Guarantee of Rs. 100 Crore plus Rs. 5 lakh/ MW for capacity over and above 1000MW, in lieu of ownership or lease rights or land use rights of land for 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought subject to provisions of Regulations 11A and 11B of these regulations; ”

6. Amendment to Regulation 7.1 of the Principal Regulations

- 6.1. The number and words “30 days” shall be substituted with the number and words “60 days” in Regulation 7.1 of the Principal Regulations.

7. Amendment to Regulation 7.2 of the Principal Regulations:

- 7.1. The number and words “60 days” shall be substituted with the number and words “90 days” in Regulation 7.2 of the Principal Regulations.

8. Amendment to Regulation 11A of the Principal Regulations:

- 8.1. Clause (1), Clause (2), and Clause (3) of Regulation 11A of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(1) An applicant which is REGS (other than Hydro generating station) or ESS (excluding PSP) covered under sub-clause (c) of Clause (xi) of Regulation 5.8 or Renewable power park developer covered under sub-clause (c) of Clause (vii) Regulation 5.8, shall submit documents for land in terms of sub-clause (b) of Clause (xi) or sub-clause (b) of Clause (vii) of Regulation 5.8 of these regulations, as the case may be, within 18 months of issuance of an in-principle grant of Connectivity or within 12 months of issuance of a final grant of Connectivity, whichever is earlier. The Bank Guarantee submitted under subclause (c) of Clause (vii) or under sub-clause (c) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations shall be returned within 7 days of submission of stipulated documents as proof of Ownership or lease rights or land use rights.

(2) An applicant which is REGS (other than Hydro generating station), ESS (excluding PSP), or Renewable power park developer to which an in-principle grant of connectivity has been issued shall have to achieve the financial closure for the capacity of such Connectivity, latest by 6 months prior to the scheduled date of a commercial operation or start date of Connectivity of such applicant, whichever is later:

Provided that such an applicant shall submit proof of Financial Closure of the project (with a copy of the loan sanction letter or proof of first disbursal of the loan amount) or a copy of board resolution (if internal funding is planned for 100% of the project cost) to CTU within 15 days of achieving the financial closure:

Provided further that in case of REGS (other than Hydro generating station) or ESS (excluding PSP) which has been granted Connectivity under sub-clause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8, the scheduled date of commercial operation for the purpose of this Clause shall be considered as the SCOD, as extended by REIA or a distribution licensee or an authorized agency on behalf of distribution licensee from time to time, subject to the condition that any extension in the timeline to achieve the milestone of Financial Closure due to extension in SCOD shall not be allowed more than 12 months from the original timeline as per initial SCOD:

Provided also that entities which have been granted Connectivity under sub-clause (b) or (c) of Clause (xi) of Regulation 5.8 and are subsequently covered under sub-clause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8 shall be required to achieve financial closure for the capacity of such Connectivity, latest by 6 months prior to the start date of Connectivity of such applicant.

(3) In case of Applicants who have been granted Connectivity under subclause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations and whose LoA or PPA gets terminated prior to the COD of the project, for the reasons not attributable to such Applicant and in cases where LoA or PPA has been terminated by the entity and the same has also been agreed or approved by the REIA or Distribution Licensee or appropriate Commission, such Applicant may convert the Connectivity, in full or part, granted under sub-clause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations to Connectivity under sub-clause (b) or sub-clause (c) to Clause (xi) of Regulation 5.8 of these Regulations with no change in the start date of Connectivity and point of connectivity with ISTS, consequent to such conversion. Such entity shall comply with the requirements of Clause (2) of this Regulation within six months from approval of such conversion or six months prior to the start date of Connectivity, whichever is later:

Provided that if the conversion is made to Connectivity under sub-clause (c) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these Regulations, the entity shall comply with the requirement of Clause (1) of this Regulation within three months from the date of approval of such conversion by the CTU:

Provided further that in case of conversion of part quantum of Connectivity granted under sub-clause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations to Connectivity under sub-clause (b) or sub-clause (c) to Clause (xi) of Regulation 5.8 of these Regulations, balance quantum of Connectivity shall be revoked and shall be governed in terms of Regulation 24.6 of these regulations:

Provided also that once an entity has been allowed to convert the Connectivity granted under sub-clause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations to Connectivity under sub-clause (b) or sub-clause (c) to Clause (xi) of Regulation 5.8 of these Regulations, any subsequent conversion to Connectivity under sub-clause (a) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations shall not be permitted. Such entity shall be eligible to obtain LOA or enter into PPA for the purpose of sale of power from its project, but such LOA or PPA shall have no bearing on the timeline for fulfilling requirements under Regulation 11A and Regulation 24.6 of these regulations.

9. Amendment to Regulation 11B of the Principal Regulations:

9.1. The words “of Rs 10 lakh/MW submitted” shall be substituted with the words “submitted in terms of sub-clause (c) of Clause (vii) or sub-clause (c) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations,” in Clause (1) of Regulation 11B of these regulations.

9.2. Clause (2) of Regulation 11B of these Regulations shall be substituted as follows:

“(2) If the Connectivity grantee fails to achieve the financial closure within the stipulated time or fails to submit the copy of financial closure within the stipulated time as per Clause (2) of Regulation 11A of these regulations, Connectivity shall be revoked, Bank Guarantee submitted under sub-clause (c) of Clause (vii) or sub-clause (c) of Clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations shall be encashed, and Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be treated in terms of Regulation 24.2 or Regulation 24.3 of these regulations, as applicable.”

10. Amendment to Regulation 24.6 of the Principal Regulations:

10.1. A new sub-clause (iii) shall be added below sub-clause (ii) of Clause (1)(a) of Regulation 24.6 of the Principal Regulations as under:

“(iii) for cases covered under Clause (xi)(a) of the Regulation 5.8 of these regulations but are subsequently covered under clause (xi)(b) or (xi)(c) of Regulation 5.8 under Regulation 11A of these Regulations, scheduled date of commercial operation for the purpose of Clause (ii) of this Regulation shall be the start date of Connectivity or the six months from the date of approval by CTU for such conversion from Clause (xi)(a) to Clause (xi)(b) or (xi)(c) of Regulation 5.8 of these Regulations, whichever is later.”

HARPREET SINGH PRUTHI , Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./238/2024-25]

- Note: —**(1)The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 were published on 19.07.2022 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 364.
- (2)The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (First Amendment) Regulations, 2023 were published on 06.04.2023 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 229.